iHkkx & 2 % O;olkf;d fof/k;k] fufr'kkL= vkj lpkj

PART – I : ANNOUNCEMENTS STATING APPLICABILITY & NON APPLICABILITY FOR MAY,2017 EXAMINATION

I eb 2017 dh ijh{kkvksa dk fy;s iz;kT;rk %&

अध्ययन सामग्री (जुलाई 2015 संस्करण), अभ्यास पुस्तिका के साथ Paper "Paper व्यावसायिक विधि, नितिशास्त्र और संचार के लिये अनुपुरक अध्ययन सामग्री" May 2017 परीक्षाओं के लिये प्रासंगिक हैं। अनुपुरक अध्ययन Paper 2016 व्यापार में सभी प्रासंगिक संशोधनो / Circulars (परिपत्र)/अधिसूचना आदि शामिल करती है और कम्पनी कानून भाग 1 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 के लिये बने हैं। इसके अलावा, कम्पनी कानून भाग में Ist May 2016 से 31st October, 2016 अवधि के लिये सभी प्रासंगिक संशोधन / परिपत्र/ अधिसूचना आदि का नीचे उल्लेख कर रहे है।

1. The Ministry of Corporate Affaris (MCA) Vide Notification G.S.R. 639 (E) dated 29th June, 2016 में संशोधन किया गया था कंपनीयों के नियम, 2016 (जमा की स्वीकृत), कंपनीयो के संशोधित नियम, 2016 (जमा की स्वीकृत), जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं –

Rule 16A- fofÙk; fooj.kksa esa शामिल करते हुए दर्शन जो निम्न है –

"(1) प्रत्येक कम्पनी सिवाय "निजी कम्पनी" के अपने निर्देशक से प्राप्त धन को 'नोट्स के माध्यम से अपने वितिय विवरणों में दर्शाएगी।

(2) iR;sd ^futh dEiuh* अपने निर्देशक से प्राप्त धन और उसके रिश्तेदारों से प्राप्त धन को वित्तिय विवरणों में 'नोट्स' के द्वारा दर्शाएगी।"

(Refer Para 2.2, Page 6.62 of the SM (July 2015edition)

2. 19 July, 2016 को MCA vide Notification G.S.R. 704 (E) में संशोधन किया गया था, कम्पनी (अंश पूंजी और ऋणपत्र) नियम 2014 को कम्पनी (अंश पूंजी और ऋणपत्र) तीसरे संशोधन नियम, 2016 लाया गया, जिसमें बिन्दु में बदलाव किया गया नियम 8(4) में जो कि सम्बन्ध रखता है Cf समता अंशो के निर्गमन से – बदलाव यह है :

नियम (8) के उप नियम (4) में, पहले प्रावधान के बाद निम्न प्रावधान शामिल किए गए जो है :–

"शुरूआती कम्पनी नोटिफिकेशन नम्बर GSR 180(E) जो 17 फरवरी 2016 को डिपार्टमेन्ट ऑफ पॉलिसी एण्ड प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, गावरमेन्ट ऑफ इण्डिया, द्वारा जारी किया गया कि रेस्ट समता अंश, कम्पनी के प्रदत्त पूंजी के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, कम्पनी के पंजीकरण से 5 वर्ष तक।"

[(Refer Para 3.11, Page 6.89 of the SM (July 2015 edition)]

3. 27 जुलाई, 2016 को MCA Vide Notification G.S.R. 743(E) में संशोधन किया गया था, कम्पनी (गठन) नियम, 2014 को कम्पनी (गठन) तीसरे संशोधन नियम, 2016 जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन OPC से संबंधित है। अभिदाता के ब्यौरे निगमन, कम्पनी के नाम के प्रकाशन और नाम में परिवर्तन के कारण सीमा नियम में परिवर्तन के समय रजिस्ट्रार के साथ दायर किए जाये।

(i) rule 3, sub rule (2) में निम्न शामिल किया:-

",d df=e O;fDr fdlh Hkh le; ij ,d l T;knk* ,d O;fDr dEiuh का सदस्य नहीं बन सकता है और न ही एक समय पर 'एक व्यक्ति कम्पनी' का बन सकता है।"

[Refer Para 1.6, Page 6.17 for relevant Rule in SM]

(ii) rule 16 के sub rule (1) में :–

खंड (clause) (M) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाले गये है अर्थात्

© The Institute of Chartered Accountants of India

"स्पष्टीकरण (Explanation) – मामले में अभिदाता पहले से ही एक वैध DIN पकड़ रहा है और उसमे प्रदान ब्यौरे आवेदन की तारीख को Update किया गया है और इस आशय की घोषणा आवेदन में दी गई हैं। पहचान का सबुत और निवास संलग्न करने की जरूरत नहीं है।"

[Refer Para 1.6, Page 6.18 for relevant Rule in SM]

(iii) नियम 26

"26. dEiuh d uke dk i dk'ku %&

(1) वह सारी कम्पनी जिसकी कोई वेबसाइट है Online व्यापार के या अन्य वजह से, उसको अपना नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता, कोरपरेट आइडेन्टी नम्बर, टेलीफोन नम्बर, फेक्स नम्बर अगर कोई है तो, ई–मेल और उस व्यक्ति का नाम जो किसी भी समस्या व प्रश्न का कम्पनी की तरफ से जवाब देता हो या उत्तरदायी हो ये सब कम्पनी के Home Page पर होना चाहिए।

(2) केन्द्र सरकार को जब भी आवश्यकता हो वह कम्पनी के दुसरे सारे प्रपत्र जिस पर कम्पनी का नाम हो जारी कर सकती है।"

[Refer Page 6.23 for relevant Rule in SM]

(iv) नियम 29 के उप नियम (1) में निम्न को शामिल किया गया –

(1) कम्पनी को अपना 'नाम' परिवर्तित करने नहीं दिया जाएगा, जिसने अपना annual returns नहीं जमा कराया है और जिसने अपने वित्तिय विवरण रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं कराए है एवं वह जो अपनी परिपक्व जमाओं व ऋणपत्र एवं ब्याज को पुनः भुगतान व भुगतान नहीं कर पाई है।

कम्पनी को नाम में परिवर्तन करने तभी दिया जाएगा जब कम्पनी ने सारे आवश्यक प्रपत्र जमा कराये हो रजिस्ट्रार के पास व परिपक्व जमा व ऋणपत्र एवं ब्याज का पुनः भुगतान व भुगतान किया हो। जैसा इस मामले में है।

[Refer Para 1.8, Page 6.29 for relevant Rule in SM]

4. 23 सितम्बर, 2016 Vide Notification G.S.R. 908(E) में संशोधन किया गया, कम्पनी (मेनेजमेन्ट और एडमिनेस्ट्रशन नियम, 2014 को कम्पनी' (मेनेजमेन्ट और एडमिनेस्ट्रेशन) संशोधन नियम, 2016 लाया गया। जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमोटरो की हिस्सेदारी की स्थिति में परिवर्तनों की आवृति संदर्भ के साथ हैं। और दस उच्च अंशधारक, मांग पत्रों द्वारा असाधारण आम बैठक बुलाना, इलेक्ट्रॉनिक साधनो के माध्यम से मतदान और व्यापार संचालन के लिये प्रक्रिया का पालन Postal Pallot (डाक मतपत्र) के माध्यम से किया जाना हैं। परिवर्तन कर रहे हैं :–

(i) नियम 13 में, निम्न नियम शामिल किया गया –

"प्रत्येक पंजीकृत कम्पनी जो रजिस्ट्रार को return का प्रपत्र Form No MGT10 में जमा कराती है। प्रवर्तक के कारण अंशधारको कि स्थिति में जो बदलाव हुआ है उस सन्दर्भ में और इस मामले में बदलाव के बाद 2% या ज्यादा का प्रदत्त पूंजी में उतार व चढ़ाव आ सकता, बदलाव के 15 दिनों के भीतर"

[Refer Para 4.16 Page 6.125 for relevant Rule (SM July 2015 edition]

(ii) नियम 17 में उपधारा (2) में, स्पष्टीकरण में शब्द "कार्य दिवस पर" के लिये, शब्द "राष्ट्रीय छुट्टी को छोड़कर किसी भी दिन पर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[Refer Page 6.131 Point (2) for relevant Rule (SM July 2015 edition]

(iii) नियम 20 में उप – नियम (2) के लिये निम्नलिखित उप – नियम प्रतिस्थापित किये जायेगे अर्थात्

"प्रत्येक कम्पनी जिसने एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपने समता अंश सूचीबद्ध किये हैं। और प्रत्येक कम्पनी जहां एक हजार से कम सदस्य नही होने

© The Institute of Chartered Accountants of India

पर / अपने सदस्यो को प्रस्तावित संकल्पो पर मतदान करने के अधिकार के प्रयोग करने के लिये सुविधा प्रदान करेगी। कि आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ही पालन किया जायेगा।

बशर्ते कि एक निधि, या एक उद्यम या संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों के अध्याय XB या XC में निर्दिष्ट करें। और भारत नियमो के विनिमय बोर्ड, 2009 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं हैं। (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)

स्पष्टीकरण :– इस उप नियम के प्रयोजन के लिये "निधि" का अर्थ है एक कंपनी जो अपने सदस्यों के बीच बचत और अल्पव्यय की आदत को विकसित करने, जमा प्राप्त करने और उधार देने, केवल अपने सदस्यों, उनके पारस्परिक लाभ के लिये और जो कंपनियो के ऐसे वर्ग के नियमन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित इस तरह के नियमों के साथ अनुपालन करने के लिये बाध्य हैं। के उद्देश्य के साथ नीधि रूप में निगमित की गई है।"

(Refer Para 4.10, Page 6.149 for relevant Rule (SM July 2015 edition)

(iv) नियम 22 में, उप – नियम (7) और उप नियम (14) हटाया जाएगा।

उप नियम 7 dealt साथ" यदि एक संकल्प को इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान सहित डाक मतपत्र के माध्यम से शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत से अनुमति प्राप्त करनी होती हैं। यह विधिवत उस निमत्त बुलाई एक आम बैठक में पारित किया गय है माना जाएगा।

(Refer Para 4.13, page 6.164, Point (5) & Point (12) for relevant Rule (SM July 2015 edition)]

5. MCA vide Notification G.S.R. 936 (E) dated 1st October, 2016, में संशोधन किया गया है कम्पनीयो के नियम (निगमन), 2014 के माध्यम से कम्पनीयो के शोधित नियम, 2014, जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिये सरलीकृत प्रोफार्मा द्वारा शुरू किये गये है।

dEiuh byDVkfud :i e fuxeu d fy;s ljyhd`r ikQkek %&

MCA ने व्यापार में आसानी के लिये विभिन्न कदम उठाए। एक कदम व्यापार को आसानी से स्थापित करने की दिशा में, MCA ने कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिये सरलीकृत प्रोफार्मा के माध्यम से प्रपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। Spice के लिये निम्नलिखित कदम हैं –

(1). तीन निदेशको तक निदेशक पहचान संख्या के लिये आवेदन, एक नाम का आरक्षण, कम्पनी का निगमन और प्रस्तावित कम्पनी के निदेशक को नियुक्ति एकीकृत Form No. IN – 32 में दायर की जाएगी।

एक व्यक्ति कम्पनी, निजी कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी और निर्माता कम्पनी के लिये, रजिस्ट्रार के साथ जिसके अधिकार क्षेत्र में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थिति किया जाना प्रस्तावित हैं। साथ में दो हजार रूपये की फीस के अलावा कम्पनीयो के नियम, 2014 में निर्धारित पंजीकरण शुल्क / (कार्यालयो और फीस का पंजीकरण)

(2) दाखिल एकीकृत निगमन प्रपत्र के प्रयोजन के लिये, तीन निदेशको के अधिकतम ब्यौरे INC -32 में दायर किए जाने की अनुमति दी जाएगी। और अधिकतम प्रस्तावित तीन निदेशकों को निदेशक पहचान संख्या के आवंटन की अनुमति Form INC - 32 में दी जाएगी। यदि प्रस्तावित निदेशको के मामले में अनुमोदित निदेशक पहचान संख्या नहीं होने पर।

(3) प्रमोटर या प्रस्तावित कंपनी के आवेदक ई – प्रपत्र नं. INC – 32 में केवल एक ही नाम का प्रस्ताव करंगे।

(4) प्रमोटर या प्रस्तावित कम्पनी के आवेदक Form INC – 33 में टेम्पलेट्स के रूप में MOA तैयार कर सकते हैं। और MOA और AOA की तैयारी के लिये नियम 13

© The Institute of Chartered Accountants of India

के प्रावधानों के अनुसार Form INC – 34 में AOA के टेम्पलेट्स के विकल्प चुन सकते हैं।

(5) प्रमोटर या आवेदक गवाह और हस्ताक्षर करेगा, MCA के पार्टल से MOA और AOA के कार्य में डाउन लोड़ किया और स्पष्टता से स्कैन और AOA और MOA की तैयारी के लिये नियम 16 के प्रावधानों के अनुसार E – Form 32 संलग्न करें।

(6) Form INC – 32 में निगमन के लिये एकीकृत आवेदन दायर की सुविधा निदेशक पहचान संख्या, नाम के आरक्षण और कम्पनी के निगमन के आवंटन के लिये पृथक आवेदन की प्रक्रिया के लिये एक विकल्प रूप में उपलब्ध हैं। जैसे कि इन नियमों में प्रदान की जाती हैं।

(7) निगमन की एकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करके एक आवेदन दायर के लिये जैसे कि इन नियम में प्रदान कि जाती है, अधिनियम की धारा 4 की उप – धारा 5 के उपखंड (i) के प्रावधान और इन नियमों के नियम – 9 लागु नही होगा।

(8) इस नियम के प्रावधानो का उपयोग कर एक कम्पनी अधिनियम की धारा (2) की उपधारा (12) के अन्तर्गत C Form – 32 भरने के द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय के सत्यापन प्रस्तुत कर सकती है। जो मामले में कम्पनी इस तरह के E – Form INC – 32 के साथ संलग्न करेगा। कोई भी दस्तावेज नियम 25 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट है।

(9) ई – फार्म दायर करने की आवश्यकता तिरस्कृत की जा सकती है यदि प्रस्तावित कम्पनी दिए गए पत्राचार के पते पर अपने पंजीकृत कार्यालय रखता हैं।

(10) रजिस्ट्रार जिसके अधिकार क्षेत्र में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित किया जाना प्रस्तावित है निदेशक पहचान संख्या के आवंटन के आवेदन सहित INC – 32 कार्यवाही करेगा।

(11) (a) जहाँ रजिस्ट्रार जा¡च के E- Form पर, पता चलता है यह जरूरी है कि अधिक जानकारी के लिये Call करने या पता चला इस तरह के आवेदन या दस्तावेज दोषपूर्ण या किसी भी संबंध में अपूर्ण हैं। वह दोष को दुर करने और रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की तारीख से 15 दिनों के अन्दर पुनः E- Form जमा करने के लिये सूचना देनी होगी।

(b) दस्तावेजों के पुनः प्रस्तुतीकरण के बाद, यदि रजिस्ट्रार को पुनः पता चलता है कि दस्तावेज दोषपूर्ण और किसी भी संबंध में अपूर्ण है ऐसी कमियो या दोष को दुर करने के लिये 15 दिनो का अवसर देना होगा।

(ba) दस्तावेजो के पुन प्रस्तुतीकरण के बाद और द्वितीय अवसर के पुरे होने पर भी, यदि रजिस्ट्रार अभी भी पता चलता है कि दस्तावेज दोषपूर्ण या अधुरे हैं, वह ऐसी कमियों या दोष को दुर करने का तीसरा अवसर देगा।

बशर्ते कि दस्तावेजों के पुन प्रस्तुतीकरण के लिये कुल अवधि 30 दिनो की कुल अवधि से अधिक नही होगी।

(c) मामले में, रजिस्ट्रार की राय है कि इस तरह के दस्तावेज तीन अवसर देने के बाद दोषपूर्ण या किसी भी संबंध में अधुरा है प्रस्तावित कम्पनी का E – Form INC – 29 अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(12) निगमन का प्रमाण पत्र (Form No. INC - 11) में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाएगा।

[ikBfxd fu;e 36 d fy;s ijd lkexh **Paper 2016** dk **Refer Page – 6** tk feVk;k ;k byDVkfud :i l dEiuh fuxeu d fy;s Qke Hkju dh bl ljy izfØ;k d lkFk fujLr fd;k x;k gA**]**

II eb 2017 ijh{kk d fy;s diuh vf/kfu;e] 2013 dh fuEufyf[kr ikBfxd /kkjkvk dk ykxs u gkuk %&

S.	/kkjk lq[;k	/kkjk 'kh"kZd

© The Institute of Chartered Accountants of India

No.		
1.	धारा 48	अंशधारकों के अधिकार में बदलाव
2.	धारा 66	अंश पूंजी की कमी

© The Institute of Chartered Accountants of India

iizij & 2 % 0;olkf;d fof/k;k] fufr'kkL= vkj lpkj

Hkkx & II : i'ukÙkj

i'u

Hkkx & v % 0;olkf;d fof/k;k

Hkkjrh; vuqcU/k vf/kfu;e] 1872

1. (a) समझाइए निम्न में कानूनी स्थितियाँ :

(i) A ने B को अपना घर रूपये 150,000 में बेचने का प्रस्ताव किया B ने वह प्रस्ताव डाक द्वारा भेजकर अपनी स्वीकृति उस प्रस्ताव के लिए दे दी अगले दिन B ने टेलीग्राम भेजकर अपनी दी हुई स्वीकृति को निरस्त कर दिया जो कि A को डाक से पहले ही पहुँच गई क्या स्वीकृति की निरस्ता वैद्य है? क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है यदि स्वीकृति की डाक एवं स्वीकृति को निरस्त करने का टेलीग्राम A के पास एक ही समय एक साथ पहुंचते है।

(ii) अनुबन्ध के सम्बन्ध अयथार्थ सिद्धान्त को स्पष्ट करो सोहन ने सूरज को अपना मोटर साईकिल खरीदने के लिए प्रेरित किया और उसे कहा कि मोटरसाईकिल बहुत अच्छी स्थिति में है। सूरज ने मोटरसाईकिल लेने के उपरान्त यह शिकायत की मोटरसाईकिल में बहुत कमियां है सोहन ने प्रस्ताव किया है कि वह उसे मरम्मद करवा देता है और यह वायदा किया वह उसे मरम्मत पर आने वाली लागत का 40% भाग वह देगा कुछ दिनों के बाद मोटरसाईकिल ने बिल्कुल काम करना बन्द कर दिया। अब सूरज करार को रद्द करना चाहता है। कारण बताते हुए निर्णय दीजिए।

(b) Zarine ने मुम्बई स्थित अपना मकान wasabi को रूपये 10,000 मासिक किराये पर दिया zarine द्वारा देय रूपये 5 लाख की राशि सम्पÙिा कर के रूप में बकाया होने के कारण निगम ने उसका मकान नीलाम करने के लिए विज्ञापन दिया। wasabi उसके कानूनी परिणाम से बचने के लिए निगम को zarine द्वारा देय सम्पÙिा कर का भुगतान कर देता है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दीजिए कि क्या wasabi उस राशि को zarine से वापस प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. (a) M ने B को एक लि. कम्पनी के दो अंशो के आधार पर रूपये 5000 उधार दिये। 15 जून, 2016 को कम्पनी ने दो बोनस अंश जारी कर दिये। B ने रूपये 5000 का ऋण ब्याज सहित वापस कर दिया। किन्तु M ने केवल कम्पनी के 2 अंश ही वापस किये तथा 2 बोनस अंश वापस करने से मना कर दिया। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अन्तर्गत B को सलाह दीजिए।

(b) आशीष ने एक अवयस्क मेघा की अपनी घड़ी रूपये 1700 से कम में न बेचने के लिए एजेन्ट नियुक्त किया। मेघा ने इसे दीवान को केवल रूपये 1200 में बेच दिया। क्या यह विक्रय वैध है? मेघा तथा दीवान के लिए भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी स्थिति स्पष्ट कीजिए।

ijkØkE; foy[k vf/kfu;e] 1881

3. एक चैक जो कि धारक को देया होता है उसको सामान्य रूप से रेखांकित कर दिया जाता है और उस पर अपरक्राम्य लिख दिया जाता है। वह चैक खो जाता है या चोरी हो जाता है और वह विष्णु के कब्जे में आ जाता हैं और वह निश्चल विश्वास में उसका मूल्य दे देता है। विष्णु उस चैक को अपने बैंक में जमा करवा देता है और उसका बैंक उस चैक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करके भुगतान अपने ग्राहक के लिए उस बैंक से प्राप्त कर लेता है जिस बैंक पर वह चैक जारी किया गया है। उस चैक का वास्तविक धारक उस चैक की भुगतान राशि का दावा विष्णु से करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. A एक विपत्र B पर जारी करता है B उस विपत्र को बिना किसी प्रतिफल के स्वीकार करता है और वह विपत्र बिना किसी प्रतिफल के (को हस्तांतरित कर दिया जाता है। C उस विपत्र पर लिखे हुए मूल्य पर D को हस्तांतरित कर देता है निर्णय कीजिए :

(i) क्या D उस विपत्र की पूर्ववर्ती पार्टियों पर दावा कर सकता है?

(ii) क्या D से पूर्व के पक्षों को यह अधिकार है कि वह किसी पर दावा कर सकें?

अपना उत्तर परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के संदर्भ में देवें।

ckul Hkxrku vf/kfu;e] 1965

(5) विकास एक कम्पनी में विक्रेता के रूप में वेतन के आधार पर कार्यरत है। पिछले वित्तिय वर्ष में कम्पनी द्वारा उसे निम्नलिखित भुगतान भी किए गए :

(i) अधिसमय भत्ता

(ii) महंगाई भत्ता

(iii) विक्रय पर कमीशन

(iv) पेन्शन फण्ड में नियोजक का अंशदान,

(v) भोजन का मूल्य।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कीजिए कि उपर्युक्त भुगतानों में से कौन–सा भुगतान वेतन का भाग है?

6. गणेश लिमिटेड कम्पनी ने लेखा वर्ष 2015–16 में बहुत अधिक लाभ कमाया। कम्पनी की इच्छा अधिकतम बोनस अपने कर्मचारियों को देना चाहती है। इस मामले में आप को कहा जाता है कि आप कम्पनी को सलाह दीजिए कि वह बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अधीन कितना उच्चतम बोनस अपने कर्मचारियों को दे सकती है।

dehpkjh Hkfo"; fuf/k rFkk fofo/k izko/kku vf/kfu;e] 1952

7. मि. अमन कि 'मूल मजदूरी' की गणना कीजिए, जब वे Glory Ltd. कम्पनी के कर्मचारी है।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952, के अन्तर्गत, जिसमें निम्न शामिल है –

(a) एक कर्मचारी द्वारा अर्जित उपलब्धियाँ, जबकि ड्युटी पर, और जो उसे भुगतान किया है या उसे नकद में देय हैं।

(b) रियायती भोजन का नकद मूल्य

(c) मंहगाई भत्ता

(d) दीवाली उपहार

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत 'मूल मजदूरी' का आशय एवं जाँच कीजिए की 'मूल मजदूरी' में क्या शामिल नहीं होगा

8. एक लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी ने भविष्य निधि कमिश्नर के पास अपने भविष्य निधि राशि को प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत किया लेकिन उस कर्मचारी के दावे का निपटारा छह माह बीत जाने पर नहीं किया गया कर्मचारी भविष्य निधि कोष एवं विधि प्रावधान अधिनियम, 1952 के संदर्भ में बताइए की उचित अधिकारी को क्या कार्यवाही करनी चाहिए थी। और भुगतान में त्रुटि करने पर कोई दण्ड है तो व्याख्या कीजिए।

miknku Hkxrku vf/kfu;e] 1972

9. Peacock Limited के अपने कर्मचारियों X और Y को देय ग्रैच्युटी की राशि को जब्त करने का फैसला किया क्योंकि इन कर्मचारियों ने दुराचरण तथा अन्य अधम कार्य किए जिनके फलस्वरूप कम्पनी की सम्पति को क्षति पहुँची, X और Y ने निम्न अपराध किए।

(i) X ने नैतिक पतन का अपराध करते हुए चोरी की।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) Y ने 6 माह की अधिवर्षिता के बाद कम्पनी के क्वार्टर (मकान) को खाली करने से मना कर दिया।

कम्पनी के इस निर्णय के विरूद्ध X एवं Y ने समुचित अधिकारी को राहत प्रदान करने के लिए आवेदन कर दिया। कम्पनी के तर्क ग्रैच्युटी का अधिकार वैधानिक नहीं है और ग्रैच्युटी का जब्त किया जाना कानून समता है।

कम्पनी के तर्क का अध्ययन करो और कम्पनी द्वारा ग्रैच्युटी की राशि को जब्त करने के निर्णय को ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रकाश में अध्ययन करो।

10. Mr. Yellow वाइट शुगर लि. का एक कर्मिक था। वाइट शुगर लिमिटेड का सारा उपक्रम एक नई कमानी मॉर्डन वाइट शुगर लिमिटेड ने ले लिया। Mr. Yellow की सेवा नई कम्पनी में लगातार चालू रही। एक साल की सेवा के बाद Mr. Yellow के साथ दुर्घटना हो गई जिसके कारण वह स्थायी रूप से कार्य करने के निशस्त हो गया। Mr. Yellow ने नई कम्पनी को ग्रैच्युटी का भुगतान करने के लिए आवेदन किया। कम्पनी ने ग्रैच्युटी देने से यह कहकर मना कर दिया कि Mr. Yellow ने केवल 1 वर्ष ही काम किया था। ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के संचालको द्वारा Mr. Yellow को ग्रैच्युटी न देने के निर्णय की वैधता की जाँच कीजिए।

dEiuh vf/kfu;e] 2013

11. Glowing Products Ltd. अपने व्यवसाय एक भाग को बेचना चाहती जिसके लिए कम्पनी ने असाधारण सभा बुलाई और प्रस्ताव पास करवाना है। कम्पनी (EGN) के नोटिस के साथ और कौनसे प्रपत्र भेजे, जोकि इस विशेष प्रस्ताव के लिए आवश्यक है सभा में?

12. (a) एक सार्वजनिक कम्पनी के अन्तर्नियमों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि Mr. Swift कम्पनी के वकील है। कम्पनी ने साधारण सभा में कम्पनी के अन्तर्नियमों में परिवर्तन करके एकमत से यह निर्णय किया कि Swift के स्थान पर Mr. Best कम्पनी का वकील होगा, जाँच कीजिए कि क्या कम्पनी ऐसा कर सकती है? कारण स्पष्ट रूप से बताइए।

(b) एक कम्पनी के सचिव ने प्रेम को एक अंश प्रमाणपत्र कम्पनी की मुद्रा लगाकर दिया। उस प्रमाणपत्र पर उस सचिव के हस्ताक्षर थे तथा उसके द्वारा बनाये गये जाली हस्ताक्षर निर्देशक के थे। प्रेम ने अमर से उस प्रमाणपत्र के आधार पर कर्ज लिया। अमर उस प्रतिभूति को उगाहना चाहता था इसलिए उसने कम्पनी से इसके लिए प्रार्थना की कि वह कम्पनी उसे उन अंशो का धारक के रूप में पंजीकृत कर ले व्याख्या कीजिए क्या अमर उन अंशो को अपने नाम में पंजीकृत करवाने में सफल हो जायेगा।

आन्तरिक प्रबन्ध सिद्धान्त की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

13. एक कम्पनी ने प्रविवरण जारी किया। सभी वक्तव्य जो कम्पनी प्रविवरण में बताए गए थे, सत्य थे। यह भी लिखा गया कि कम्पनी ने कई सालों तक लाभांश का भुगतान किया, परन्तु कम्पनी ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि लाभांश व्यापार के मुनाफा में से नहीं दिया बल्कि लाभांश पूंजीगत मुनाफा से दिया गया। आबंटी संविदा को इस आधार पर रद्द करना चाहता है। कि प्रविवरण में गलत तथ्य थे।

14. 17 जुलाई, 2016 को KMP Ltd. के निर्देशन मण्डल ने वित्तिय विवरणों को स्वीकृति दी। और वार्षिक साधारण सभा का नोटिस 25 अगस्त 2016 को भेजा गया, कम्पनी के लेखापाल ने सलाह दी थी वार्षिक साधारण सभा व वितिय विवरणों के बीच 45 दिन का अन्तर है, अतः कम्पनी के निर्देशकों को सलाह दीजिए कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह सही है या नहीं।

15. मि. अन्तरिक्ष ने व्यवसायिक सम्पति को खरीदने के लिए दिल्ली में NRT Ltd. से अनुबन्ध किया, पंजीकरण के समय, मि. अन्तरिक्ष को पता चला कि कंपनी का शीर्षक

© The Institute of Chartered Accountants of India

विलेख मुक्त नही है और कंपनी शीर्षक विलेख को मि. अन्तरिक्ष के नाम पर हस्तांतरित कर पाने में असमर्थता व्यक्त करती हैं कह रही है कम्पनी की संपत्ति पर प्रभार निर्मित पड़ा हैं। "प्रभार का नोटिस" की सहायता के साथ समझाइए कि क्या NRT Ltd. की दलील सही हैं?

Hkkx & c: uhfr'kkL=

16. उन घटको का विस्तार से वर्णन कीजिए जो एक कर्मचारी के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते है।
17. 'उपभोक्ता हित' तथा 'सार्वजनिक हित' के बीच अन्तर बताइए।
18. व्यावसायिक संगठनों के लिए "समान निगमित दायित्व की नीतियाँ" क्या होती है।
19. नितिशास्त्र से सम्बन्धित आधारभूत सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।
20. बताइए कि किस प्रकार से एक कम्पनी में सुरक्षित नितिगत पर्यावरण उत्पन्न किया जा सकता है। तथा धोखाधड़ी को रोका जा सकता है?

Hkkx & l: lapkj

21. औपचारिक संचार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
22. अन्तवैयक्तिक संचार के क्या कार्य होते हैं? इसकी व्याख्या करो।
23. "व्यापारिक संगठनों में संचार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है"। संचार के बढ़ते महत्व के लिए कारणों का वर्णन करो।
24. संचार में नितिपरक व्यवहार की दुविधाओं को संभालने के लिए मार्गदर्शन सुझाइए।
25. ABC ट्रेडर्स प्रा. लि. का निदेशक मण्डल कम्पनी का नाम ABC इन्टरनेशनल प्रा. लि. बदलने के लिए विशेष साधारण सभा आयोजित करना चाहता है। इस सभा को बुलाने के लिए सूचना का प्रारूप बनाइए।

Suggested Answers

1- **(a)** यह समस्या संप्रेषण और स्वीकृति का समय तथा अस्वीकृति के समय पर आधारित है भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 4 के अनुसार स्वीकृति को संप्रेषण ही स्वीकृति को पूर्ण करता है जबकि स्वीकारकर्ता के बदले यह प्रस्तावकर्ता के संज्ञान में आता है।

किसी भी स्वीकृति को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है पर यह स्वीकृति के पूर्व ही स्वीकारकर्ता के लिए मान्य है परन्तु संप्रेषण के उपरान्त नहीं।

उपरोक्त प्रावधानों के सन्दर्भ के अनुसार

(1) हाँ, B द्वारा स्वीकृति का निरस्त किया जाना वैध है।

(2) यदि A तार को पहले खोलता है। (यह सामान्यतः किसी भी ठीक सोच वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। और उसे पढ़ता है तो स्वीकृति की निरस्ता संभव नहीं होती क्योंकि अनुबन्ध पहले ही सम्पूर्ण और अन्तिम रूप में हो चुका होता।

(ii) v;FkkFk& &

भारतीय अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस में अयथार्थ समाहित है।

1 कोई व्यक्ति विश्वासपूर्वक यह कहता है कि उसका कथन सत्य है जब की यह सूचना है कि वैसा नहीं है यद्यपि वह विश्वास करता है कि उसका कथन उचित है।

2 जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से कोई लाभ होता है और वह किसी अन्य व्यक्ति की गुमराह करता है और इस का फायदा उठाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. जब कोई पक्ष दूसरे पक्ष का नुकसान करता है भले ही यह अनजाने में किया गया हो तो दूसरा पक्ष जो कि अनुबन्ध कर रहा गलती कर लेता है क्योंकि अनुबन्ध के तथ्य गलत रूप में प्रस्तुत किए गए है।

किसी पक्ष द्वारा अयथार्थ तथ्य प्रकट करने के फलस्वरूप जिस पक्ष पर प्रभाव हुआ है वह भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 19 के अनुसार उस अनुबंध को रद्द कर सकता है यह उससे बच सकता है अपकृत पक्ष को यह अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार नहीं होगा यदि उस पक्ष ने अयथार्थ कथन का पता लग जाने के बाद उस अनुबन्ध से कोई लाभ उठाया हो या उस अनुबन्ध के प्रति अपनी कोई सहमति जताई हो तो दिये गये उदाहरण में सूरज उस अनुबन्ध को रद्द नहीं कर सकता क्योंकि उसने सोहन द्वारा मोटरसाईकिल ठीक करवाने तथा ठीक करवाने पर होने वाले खर्च का 40% भाग पर अपनी सहमती दी है। इस प्रकार सूरज ने अन्ततः सोहन द्वारा की गयी बिक्री के प्रति अपनी सहमति दी है। (लोन्ग बनाम लायड) (1958)

(b) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 69 में यह प्रावधान है कि "जब एक व्यक्ति द्वारा भुगतान करने में उसका हित है", तो दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए दायी है और वह उसका भुगतान कर देता है तो वह दूसरे व्यक्ति से इसकी भरपाई करा सकता है।

दिये गये प्रश्न में Wasabi ने zarine की कानूनी रूप से देय राशि का भुगतान किया जिसके भुगतान में उसका हित है। इसलिए wasabi, zarine से दी गई राशि की भरपाई करा सकता है।

2- **(a)** fu{kih dh dÙkO; o nkf;Ro– पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 163(4) के प्रावधानों पर आधारित है। इस धारा के अन्तर्गत विपरित "अनुबन्ध न होने की दशा में, निक्षेपी निक्षेपक को निक्षेपित माल में हुई वृद्धि अथवा लाभ वापस करने के लिए दायी है।"

दी गई समस्या में उक्त प्रावधानों के अनुसार बोनस अंश, B द्वारा M के पास निक्षेप किये गये अंशों में वृद्धि के समान है। इसलिए M अंशों के साथ –साथ बोनस अंश भी वापस करने के लिए दायी है। अतः निक्षेपक को उन अंशों को वापस पाने का अधिकार है। (मोतीलाल बनाम बाई मनी)

(b) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 34 के अनुसार प्रधान तथा तीसरे पक्ष के बीच एक अवयस्क भी एजेन्ट नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अवयस्क एजेन्ट को प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि अनुबन्ध के अयोग्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है तो प्रधान तीसरे पक्ष के प्रति दायी होगा। इस प्रकार दिये गये प्रश्न में दीवान को घड़ी का अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा। मेघा, आशीष के प्रति अपनी गलती अथवा असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं है।

3. इस दिए गए उदाहरण में एक चैक जिसे सामान्य रूप से रेखांकित किया गया था। और उसे अहस्तांतरणीय या अपराक्राम्य विलेख बना दिया गया था। इसके बाद वह चैक खो गया था, चोरी हो गया और वह चैक विष्णु के कब्जे में आ गया, विष्णु उस चैक को सहज विश्वास में ठीक मानकर उसका मूल्य दे देता है।

परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 130 के प्रावधान है, कोई व्यक्ति यदि वह चैक लेता है, जो सामान्य या विशेष रूप से रेखांकित किया हुआ है और दोनों मामलों में उस चैक पर यह शब्द लिखे हुए है कि वह विलेख परक्राम्य नहीं है, तो व्यक्ति उस चैक को और कोई मालिकाना अधिकार दे सकता है, जो उस व्यक्ति ने दिया है, जिससे वह चैक लिया है, इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यद्यपि विष्णु यथाविधि धारक है – पर उस चैक पर उसको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि उस चैक पर उस व्यक्ति का अधिकार है, जिसको वह जारी किया गया था

© The Institute of Chartered Accountants of India

और वह व्यक्ति ही उस चैक का वास्तविक मालिक है। चैक पर लिखे अतिरिक्त शब्द की वह विलेख परक्राम्य नहीं है। उस चैक की परक्राम्य योग्यता को समाप्त कर देते है जिसका अभिप्राय है कि कोई धारक जिसके पास केवल त्रुटिपूर्ण अधिकार है उसके बाद वाले धारक को जो कि यथाविधि धारक है ऐसा अधिकार प्रदान कर सकता है। विष्णु ने कोई उसको हस्तांतरण करने वाले से बेहतर अधिकार प्रज्ञतप नहीं किया था, जिसने वह चैक चोरी किया था या वह चैक उसे कहीं से मिला था, वह व्यक्ति उस चैक का वास्तविक मालिक नहीं था। इसलिए जहाँ तक वास्तविक मालिक का संबंध है विष्णु उस चैक को उसे हस्तांतरण करने वाले से बेहतर अधिकारी नहीं था। विष्णु का यह दायित्व है कि वह उस चैक की धनराशि उसके वास्तविक मालिक को दे दे।

यद्यपि वह उस व्यक्ति को विरूद्ध चारा, जो कोई कर सकता है जिसने वह चैक हस्तांतरत किया था दिए गए उदाहरण दोनों बैंक वह बैंक जिसने चैक का भुगतान प्राप्त किया है तथा वह बैंक जिसने चैक का भुगतान प्राप्त किया है दोनों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है।

क्योंकि भुगतान प्राप्त करने वाले ने शुद्ध विश्वास में और बिना किसी लापरवाही के विष्णु जो उस बैंक का ग्राहक है, के लिए भुगतान प्राप्त किया है, क्योंकि चैक को सामान्य रूप से रेखांकित किया गया था, इसलिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा। यदि चैक का मालिकाना हक त्रुटिपूर्ण हो, तो भी वह बैंक वास्तविक मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि उस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त है (धारा 131) क्योंकि जिस बैंक ने उस चैक का भुगतान किया और उस बैंक को किया है, जिसके नाम पर जारी किया गया था और उसने ऐसा अपने सामान्य व्यापार के रूप में किया है, इसलिए बैंक उस चैक के वास्तविक मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा (धारा 128) ।

4. बिना किसी प्रतिफल के आधार पर बनाए गए परक्राम्य विलेखों की समस्याएँ –

परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 43 में किए गए प्रावधान के अनुसार जो परक्राम्य विलेख बिना किसी प्रतिफल के जारी किए जाते है या बनाए जाते है, स्वीकार किए जाते हैं, अनुमोदित किए जाते है या हस्तांतरित किये जाते है या ऐसे किसी प्रतिफल के आधार पर जारी किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई दायित्व किसी भुगतान करने के लिए बनता है या अन्य पक्षों के लिए ऐसा व्यवहार कोई बाध्यता स्थापित नहीं करता है बनाया जा सकता है, परन्तु यदि कोई पक्ष, जो उस विलेख का पक्ष है उस विलेख को किसी अन्य पक्ष को अनुमोदित करके या बिना कसी अनुमोदन के भी प्रतिफल लेकर किसी धारक को हस्तांतरित कर देता है, तो वह धारक या उसके उपरान्त के सभी धारक, जिन्होंने वह अधिकार मूल धारक से ग्रहीत किया है वह सभी धारक उस विलेख के धारक से जिसने वह विलेख हस्तांतरित किया है या उससे पूर्ववर्ती पक्षों से उस विलेख में दी गई धनराशि वसूल कर सकता है।

(i) इस प्रश्न में पूछा गया समाधान निम्न रूप में है। A ने विपत्र B पर जारी किया है। और B ने उस विपत्र को बिना किसी प्रतिफल पर स्वीकार किया है। और B ने उस विपत्र C को बिना किसी प्रतिफल पर हस्तांतरित कर दिया है बाद में अंतिम हस्तांतरण C द्वारा D को उस विपत्र के मूल्य पर किया है। उपरोक्त धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार अंत में वह विपत्र D को प्रतिफल के आधार पर हस्तांतरित किया गया है। इसलिए D जो उस विपत्र का प्रतिफल के आधार पर धारक है और उसका अधिक 72 अंतिम और पक्ष है इसलिए D किसी भी पक्ष A, B या C पर वसूली का दावा कर सकता है।

(ii) उदाहरण के दूसरे भाग की समस्या का उत्तर निम्न है – D से पूर्ववर्ती पक्ष A, B और C की धारा 43 के अनुसार कोई अधिकार नहीं है कि वह

© The Institute of Chartered Accountants of India

किसी प्रकार की या किसी पक्ष के विरूद्ध कोई कुछ करें, क्योंकि जो विपत्र बिना किसी प्रतिफल या दायित्व के आधार पर बनाया जाता है। स्वीकार किया जाता है। या अनुमोदित किया जाता है। या हस्तांतरित किया जाता है। या ऐसे किसी प्रतिफल के आधार पर बनाया जाता है जो कि असफल हो गया है उसके परिणामस्वरूप कोई देयता या दायित्व स्थापित नहीं होता है। यह दायित्व तब स्थापित होता है, जब कोई प्रतिफल हो, बिना प्रतिफल कोई अधिकार स्थापित नहीं होता है, केवल उस धारक को यह अधिकार मिलता है, जिसने प्रतिफल के आधार पर वह विपत्र प्राप्त किया है।

5- oru@ etnjh dh x.kuk & बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 2(21) के अनुसार वेतन और मजदूरी से अभिप्राय धन के रूप में अभिव्यक्त किए जाने के योग्य, समयोपरि भत्ते के अतिरिक्त, उन सभी पारिश्रमिक से है, जो नियोजक के शर्ते पूर्ण होने की दशा में, चाहे वे शर्ते स्पष्ट हो या गर्भित, कर्मचारी को उनके नियोजन के या ऐसे नियोजन के दौरान किए गए काम के सम्बन्ध में दिये जा सकेंगे, इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। अर्थात् सभी नकद भुगतान चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हो और जो निर्वाह – व्यय में वृद्धि होने के कारण कर्मचारी को दिए जाते है। परन्तु निम्नलिखित भुगतान इसके अन्तर्गत नहीं आते :

(i) कोई अन्य भत्ता जिसको प्राप्त करने के लिए वह कर्मचारी तत्समय हकदार है।

(ii) किसी गृह – आवास सुविधा कि कीमत अथवा विद्युत की आपूर्ति, जल, चिकित्सा सुविधा या अन्य सुख –सुविधाएँ या अन्य किसी सेवा का या रियायती दर पर खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य;

(iii) यात्रा सम्बन्धि कोई रियायत;

(iv) कोई बोनस (प्रोत्साहन, उत्पादन व हाजिरी बोनस सहित)

(v) किसी तत्समय लागू विधि के अधीन नियोजक द्वारा किसी पेंशन फण्ड में या प्रॉविडेंट फण्ड में या कर्मचारी के लाभ के लिए दिया गया या देय अंशदान

(vi) कोई छंटनी का मुआवजा या कोई ग्रैच्युटी या कर्मचारी को देय अन्य कोई सेवा – निवृत्ति लाभ या उसे किया गया कोई अनुग्रहपूर्वक (Ex- gratia) दिया गया भुगतान; तथा

(vii) कर्मचारी को देय कोई कमीशन।

यह ध्यान देने योग्य है कि जब किसी कर्मचारी को देय उसके पूरे वेतन या मजदुरी के या उसके किसी भाग के बदले में उसके नियोजक द्वारा मुफ्त भोजन भता या मुफ्त भोजन दिया जाता है? वहाँ ऐसा भता या भोजन का मूल्य इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्मचारी के वेतन या मजदुरी का भाग समझा जाता है।

धारा 2(21) के अनुसार महँगाई भता और नियोजक द्वारा भोजन विकास के वेतन का हिस्सा होगा, जबकि बाकी तीन भता जैसे बिक्री पर देय कमीशन, अधिक कार्य करने हेतु भता, पेंशन फण्ड में नियोजक का अंशदान वेतन का भाग नही होंगे।

6. जब किसी लेखा वर्ष जो जैसा कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 कि धारा 10 में दिया गया है। के अनुरूप उपलब्ध अभिरोष न्युनतम बोनस की है। जो कि कर्मचारियों को दिया जाना है। से अधिक है तो नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कर्मचारी को उस लेखा वर्ष के लिए उस कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन या मजदुरी के आधार पर बोनस देगी जो कि अर्जित वेतन या मजदुरी पर अधिकतम 20 प्रतिशत होगा।

उपर्युक्त केस में कम्पनी 8.33% से अधिक बोनस देने के लिए आजाद है। परन्तु 20% से अधिक बोनस नहीं दिया जा सकता है। जो तथ्य दिये गये है। यह माना जाता है कि बोनस 20% देय है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

फिर भी अधिकतम बोनस की गणना में महत्वपूर्ण तत्व "आवंटनीय आधिक्य" है। अधिकतम बोनस की देयता आबंटनीय आधिक्य पर निर्भर है। आवंटनीय आधिक्य यह भी तय करता है कि बोनस 20% की उच्च दर से हो सकता है। परन्तु बोनस 20% से अधिक नहीं हो सकता है।

7- ey etnjh % धारा 2(b) कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार मूल मजदूरी से आशय सभी पारिश्रमिक से है जो एक कर्मचारी द्वारा नियोजन के दौरान काम करते हुए या छुट्टी के दौरान अर्जित किये जाते हैं। दोनों दशाओं में नियोजन के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार देय है और जो उसे नकद रूप में दिये जाते है, लेकिन इमसें सम्मिलित नहीं है :

(i) रियायती भोजन का नकद मूल्य;

(ii) कोई महंगाई भत्ता (अर्थात् सभी नकद भुगतान जो किसी भी नाम से पुकारे जाते हों जो जीवन निर्वाह में वृद्धि होने के कारण कर्मचारी को दिए जाते है। गृह किराया भत्ता, अधिसमय भत्ता, बोनस, कमीशन या मजदूरी और अन्य ऐसे भत्ते जो कर्मचारी को नियोजन के सम्बन्ध में दिए जाते है। या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के बदले में: या

(iii) नियोजन द्वारा दिया गया उपहार।

उक्त प्रावधानों को दी गई समस्या पर लागू करते हुए, अमन के आधारभूत मजदूरी में केवल उजरती मजदूरी सम्मिलित होगी, लेकिन इसमें से उत्पादकता बोनस, अतिरिक्त महंगाई भत्ता और दीवाली उपहार का मूल्य छोडना पड़ेगा।

मूल मजदूरी की मुख्य विशेषताएं :

(a) मूल मजदूरी से आशय उन सभी परिलब्धियों से हैं जिन्हें कोई कर्मचारी काम पर रहने या मजदूरी सहित अवकाश पर रहते हुए प्राप्त करता है।

(b) उपरोक्त परिलब्धियां नियोजन की संविदा की शर्तों के अनुसार है।

(c) उपरोक्त परिलब्धियों को नकद रूप में भुगतान किया जाता है या देय होती है।

इसलिए परिलब्धियां या फायदा जिनका नकद में भुगतान नहीं किया जाता है और जो नियोजन की संविदा की शर्तों के अनुसार नहीं है उन्हें मूल मजदूरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस प्रकार नियोक्ता कर्मचारी को नकद भुगतान ईनामी राशि के रूप में अपनी इच्छा से करता है और जो किसी समझौते के अन्तर्गत नहीं किया गया हो, यह भुगतान मूल मजदूरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

उक्त प्रावधानों को दी गई समस्या पर लागू करते हुए, अमन के आधारभूत मजदूरी में केवल उजरती मजदूरी सम्मिलित होगी, लेकिन इसमें उत्पादकता बोनस, अतिरिक्त महंगाई भत्ता और दीवाली उपहार का मूल्य छोड़ना पड़ेगा।

8- भविष्य निधि कोष में जमा की गयी राशि के भुगतान के लिए किये गये सभी दावे जो कि सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्रेषित किये गये है का निपटारा 30 दिन के भीतर इस लाभ प्राप्तकर्ता को उसकी राशि का भुगतान कर के किया जाना चाहिए यह निपटारा कमिश्नर द्वारा दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए पर यदि उस दावे में कोई कमी या त्रुटि है तो उस त्रुटि की सूचना दावेदार को 30 दिन के भीतर लिखित रूप से भेजी जानी चाहिए यदि कमीश्नर किसी दावे का निपटारा बिना समुचित कारण के 30 दिन से अधिक दिनों की देरी पर दण्डस्वरूप 12% का ब्याज देने के लिए बाध्य होगा और वह ब्याज दावे की पूरी राशि पर देय होगा तथा दिये जाने पर कमिश्नर के वेतन से काट लिया जायेगा।

9- xSP;qVh dk tCr djuk %

ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(6) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की सेवाएं दुराचरण या जानबूझ कर ऐसे कार्य को किया है जिसके कारण कम्पनी को क्षती पहुंची है या उसकी सम्पत्ति नष्ट हुई है के कारण निरस्त

© The Institute of Chartered Accountants of India

की गयी है तो उसकी देय ग्रैच्युटी को उस सीमा तक जब्त किया जा सकता है जिस सीमा तक कम्पनी को क्षति हुई हो या उस कर्मचारी के सेवाएं उसके द्वारा किए गए, चरित्र पतन जो कि उसके द्वारा कम्पनी में कार्यरत रहते हुए किया गया हो लिए निरन्तर की गयी है तो उस कर्मचारी को देय ग्रैच्युटी राशि को पूर्णतया या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है।

दिया गया उदाहरण उपरोक्त प्रावधानों पर आधारित है तथा ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(1) के प्रावधानों पर आधारित है। इसके अनुसार कर्मचारी दो पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करने पर ग्रैच्युटी देय होगी यदि वह अधिवर्षिता को प्राप्त कर लेता है या सेवा निवृत्त हो ता है या त्याग–पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना या रोग के कारण असक्षम हो जाता है। पांच वर्ष की सेवा को पूरा न करना तब आवश्यक नहीं होगा यदि उस कर्मचारी की सेवा को उसके मृत्यु होने पर या शारीरिक रूप में असक्षम हो जाने पर कर दिया जाता है। धारा 4(1) के प्रावधानों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रैच्युटी के भुगतान को रोकना किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं है सिवाय उन परिस्थितियों में जो कि धारा 4(6) में वर्णित है कै. मैथ्यू बनाम प्लांटेशन कॉरपोरेशन ऑफ केरल लि. 2001 एल. एल. आर (2) (केरल) यह निर्णय दिया गया था कि ग्रैच्युटी का रोकना न्याय संगत नहीं है और उसकी आज्ञा नहीं है। सिवाय उन परिस्थितियां के जो कि धारा 4(6) में विस्तार से दी गयी है और ग्रैच्युटी का अधिकार वैधानिक है और किसी को भी उसे पाने से नहीं रोका जा सकता है जब तक ऐसा करना कानून समत न हो। इसलिए पिकॉक लि. का तर्क इस सीमा तक गलत है।

पिकॉक लि. द्वारा X एवं Y को देय ग्रैच्युटी की राशि को जब्त करने का निर्णय का परीक्षण ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(6) के प्रकाश में किया जाना चाहिए।

(i) X के द्वारा किया गया अपराध कानून के अधीन चरित्र पतन द्वारा चोरी करना है और इसके कारण उसकी सारी ग्रैच्युटी को जब्त किया जा सकता है। (भारत गोल्ड माईनस लि. बनाम रीजनल लेबर कमिश्नर 1987, 70 एफ. जे आर 11 (कर्नाटका)

(ii) Y अधिवार्षिता के बाद भी कम्पनी के क्वार्टर में छह माह तक रहता। Y ने अनधिकृत तरीके से क्वार्टर को छह माह तक अधिग्रहण कर रखा था जिसके कारण कम्पनी क्वार्टर को किसी अन्य कर्मचारी को किराये पर नहीं दे सकी। इस कारण कम्पनी को प्राप्त होने वोल किराया के नुकसान हुआ। इसलिए कम्पनी का अधिकार है कि वह उससे उस क्वार्टर का किराया उसकी देय ग्रैच्युटी से घटाकर उसकी ग्रैच्युटी राशि का भुगतान उसे कर दे।

10. (1) ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार एक कार्मिक जिसने लगातार 5 वर्ष सेवा की हो तो उसकी अधिवार्षिता, सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र देने, मृत्यु अथवा दुर्घटना या बीमारी के कारण निशक्तता पर उसे ग्रैच्युटी देय होगा।

इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी कर्मिक की मृत्यु अथवा निशक्तता के कारण रोजगार समाप्त होने के मामले में 5 वर्ष की सतत सेवा की शर्त आवश्यक नहीं है।

निशक्तता का आशय किसी ऐसी निशक्तता से है जो एक कार्मिक को उस कार्य करने में असमर्थ कर देता है जिसे वह दुर्घटना या बीमारी के पूर्व कर पाने में समर्थ था।

© The Institute of Chartered Accountants of India

दी गई समस्या उपयुक्त सभी शर्तो को पूरा करती है। मि. यलो स्थायी रूप से निशक्त होने के कारण ग्रैच्युटी प्राप्त करने का हकदार है तथा इस मामले में 5 वर्ष की लगातार सेवा की शर्त आवश्यक नहीं है। अतः कम्पनी इस आधार पर ग्रैच्युटी देने से मना नहीं कर सकती कि मि. यलो ने केवल एक वर्ष की सेवा की है।

11. कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 102(1) के अनुसार, विशेष साधारण सभा के नोटिस के साथ explanatory statement को लगाकर भेजना होगा जिसमें निम्न को समाहित किया जाएगा।

(a) व्यवसाय की प्रकृति या रूचि वित्तीय या अन्यथा, यदि कोई हो, किसी भी आइटम के संबंध में :–

(i) प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई

(ii) प्रत्येक अन्य मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी और

(iii) उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंधी

(b) अन्य कोई सूचना और तथ्य है कि सदस्यों को अर्थ, कार्यक्षैत्र और व्यवसाय की वस्तुओं की निहितार्थ को समझने के लिये सक्षम हो सकता है और उस पर निर्णय लेने के लिये।

इसके अलावा, जहाँ विशेष व्यापार की कोई मद कम्पनी की बैठक में किए जाने से संबंधित है या किसी अन्य कम्पनी को प्रभावित करती हैं। ऐसी अन्य कम्पनी में अंशधारित की सीमा तक प्रत्येक प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधक, यदि कोई हो और पहली उल्लेखित कंपनी के प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की अगर इस तरह की अंशधारित कंपनी की चुकता अंश पूंजी के 2% से कम नहीं है की भी विवरणों में निर्धारित किया जाएगा।

12-**(a)** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 10(1) के अनुसार पार्षद सीमानियम तथा अन्तर्नियम पंजीकृत होने के बाद कम्पनी तथा सदस्यों को एक – दूसरे के प्रति इस प्रकार से बाध्य करते हैं, जैसे क्रमशः उन पर कम्पनी तथा प्रत्येक सदस्य ने हस्ताक्षर किये हैं तथा कम्पनी और सभी सदस्य पार्षद सीमानियम तथा अन्तर्नियमों का पालन करेगें।

धारा 14(1) भी यह उल्लेख करती है कि कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने अर्न्तनियमों में संशोधन कर सकती है।

धारा 14(2) के अनुसार कम्पनी द्वारा परिवर्तित अन्तर्नियमों की छपी हुई प्रति एवं अन्य दस्तावेज जैसे विशेष प्रस्ताव की प्रति 15 दिन की अवधि के अन्दर निर्धारित विधि से रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी, जिसे रजिस्ट्रार के द्वारा पंजीकृत किया जाएगा।

धारा 14(3) के अनुसार उपरोक्त विधि से अन्तर्नियमों में परिवर्तन उसी प्रकार से वैध होगा जैसे कि अन्तर्नियमों में मौलिक रूप से शामिल था।

वर्तमान केस में कम्पनी ने अपना अन्तर्नियम आम सभा में सभी की सहमति से परिवर्तित किया है। इस कारण परिवर्तन वैध है। परिवर्तन के पंजीकरण के पश्चात् परिवर्तित अन्तर्नियम मान्य होगा Mr. Best कम्पनी का वकील होगा और Swift को हटा दिया जाएगा।

(b) आन्तरिक प्रबन्ध सिद्धान्त की विवेचना रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तारकुण्ड (1956) 6E एण्ड B 327 में किया गया था। इस मामले में भी आ. बी. बी. के निर्देशकों ने एक बॉण्ड दिया था। कम्पनी के अन्तर्नियमों के द्वारा निर्देशकों को उचित प्रस्ताव पारित करवा लेने के उपरान्त ही बाण्ॅड जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। उपरोक्त के होते भी यह निर्णय दिया गया कि बाण्ॅड के लिए T दावा कर सकता है, क्योंकि उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह यह माने कि ऐसा प्रस्ताव पारित करवा लिया गया होगा। इस प्रकार वह व्यक्ति जो कम्पनी के साथ व्यवहार कर

© The Institute of Chartered Accountants of India

रहे है उन्हें यह मानने का अधिकार है कि निर्देशकों या उसके अधिकारी जो कृत्य कर रहे है वह वैधानिक रूप से किये जा रहे हैं यदि ऐसे कृत्य उनको प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पर यह सिद्धान्त वहाँ पर लागू नहीं होता है जहाँ पर जो व्यक्ति कम्पनी ने व्यवहार कर रहा है अगर उसे यह सूचना भी कि कम्पनी ने अनियमितता हो रही है या जहाँ पर वह व्यक्ति जो कम्पनी से व्यवहार कर रहा है उस पर कोई जाँच की जाती है या जब कोई प्रपत्र जिसे यह माना जाता है कि वह कम्पनी की ओर से जारी किया गया है या बनाया गया है वह कपट और जाली है तो उस व्यक्ति को इस सिद्धान्त का कोई लाभ नहीं मिलता है।

दी गई समस्या में आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता है क्योंकि प्रपत्र कपटपूर्ण एवं जाली है। जो कि Prem को अधिकार नहीं देते है। और इसी प्रकार से Amer को भी अधिकार नहीं मिलते है। खरीदार का अधिकार बेचने वाले के अधिकार से अच्छा नहीं हो सकता है। माल बेचान अधिनियम 1930) इसलिए अमर अंशो को अपने नाम में पंजीकृत करवाने में समर्थ नहीं होगा।

13- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 34 एवं धारा 35 आपराधिक एवं दीवानी दायित्व को बताती है। यदि दायित्व दोषी लोगों पर लागू होते है। ये धाराएँ प्रविवरण में कोई कथन असत्य अथवा भ्रामक हो अथवा जहाँ किसी विषय का उल्लेख अथवा विलोपन भ्रामक हो परिस्थितियों में लग सकती है। धारा 36 के अधीन वह व्यक्ति सजा के लिए दायी होगा जो धोखे से लोगों को रूपए निवेश के लिए प्रेरित करता है।

फिर भी वर्तमान समस्या में हमारे सामने प्रविवरण में असत्य कथन का दायित्व तय करना नहीं है बल्कि सवाल यह है कि आंबटी प्रतिभूति खरीदने की संविदा रद्द कर सकता है या नहीं। यह तय करने के लिए मुख्य फैक्टर यह तय करना है कि इसमें कोई कथन असत्य अथवा भ्रामक है जो कि प्रविवरण में बताया गया है एवं अगर किसी विषय का उल्लेख भ्रामक हो सकता है।

इस तथ्य का खुलासा नहीं करना कि लाभांश पूंजीगत मुनाफे से भुगतान किया गया है इस तथ्य का विलोपन मुख्य हो सकता है। क्योंकि सामान्यता लाभांश का भुगतान व्यापारिक मुनाफे से किया जाता है फिर कुछ अपवाद स्थितियों इसका भुगतान पूंजीगत मुनाफे से किया जा सकता है। इस प्रकार मुख्य तथ्य का विलोपन किया गया है अतः दी गई समस्या में आंबटी प्रतिभूति के आंबटन के समझौते को रद्द कर सकता है।

14- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार वार्षिक साधारण सभा के लिए स्पष्ट 21 दिन की सुचना देनी चाहिए।

और क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 2013 ने निर्देशन मण्डल द्वारा वित्तिय विवरणों के अनुमोदन की तिथि व साधारण सभा कि सूचना के बीच के समय को निर्धारित नहीं किया है।

अतः दिये गये प्रश्न में, KMP Ltd. के निदेशक मंडल को सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड की बैठक में जो वित्तीय विवरण अनुमोदित कर रहे और AGM, के बीच न्यूनतम 21 दिनों का अंतर होना चाहिए। (आदेश में कम से कम 21 दिनों का स्पष्ट नोटिस सुनिश्चित करने के लिये) जब कि बैठक एक कम समय के नोटिस पर है।

15- iHkkj fd lpuk %&

कम्पनी अधिनियम 2013 कि धारा 80 के अनुसार, अगर किसी कम्पनी की सम्पÙि, भवन या उसका कोई उपक्रम जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 77 के अन्दर पंजीकृत है और उनके ऊपर प्रभाव सृजित है। और अगर ऐसी सम्पति या उपक्रम या इनके भाग किसी व्यक्ति ने ले रखा हो ऐसा माना जाएगा कि ऐसे प्रभार के पंजीकरण पर उसने नोटिस दिया होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस प्रकार, इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति, या उपक्रम जिस पर पहले से प्रभाव पंजीकृत है उसे लेता है तो यह माना जाएगा प्रभार के पंजीकरण कि तिथी से उसे प्रभाव के बारे में पूर्ण जानकारी है।

इस प्रकार NRT Ltd का तर्क सही है।

16. **uhfrijd fu.k; rhu e[; rF;k lk iHkkfor gkrs gSa &** वैयक्तिक आचरण, मानदण्ड, प्रबन्धकों तथा सहकर्मियों का प्रभाव तथा दुराचरण में लिप्त होने के अवसर, एक व्यक्ति कार्यस्थल के बाहर अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है, लेकिन सहकर्मियों तथा प्रबन्धक एक व्यक्ति के कार्य का चुनाव करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सहकर्मियों के कार्य और उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण व संस्था के नियम तथा निति एक संस्था द्वारा नैतिक दायित्व को पूरा करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते है। यदि एक कम्पनी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने तथा सही निर्देशन प्रदान करने में असफल रहती है तो वहां भम्र और विवाद फैलेगा जो अनैतिक आचरण के अवसरों को बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए, यदि बॉस अथवा सहकर्मी जल्दी काम छोड देता है तो अन्य लोग भी ऐसा करने के लिए लालायित हो सकते है। यदि एक व्यक्ति देखता है कि उसका सहकर्मी कम्पनी के टेलीफोन पर लम्बी दूरी की बात कर रहा है जिसके व्यय का बोझ कम्पनी पर पड़ेगा तो अन्य लोग भी ऐसा करना चाहेगें। इसके अतिरिक्त ठोस वैयक्तिक मूल्य एक नैतिक कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण विकसित करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते है।

एक व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर होने वाली नैतिक समस्याओं के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है :

1. आपूर्तिकर्ता तथा व्यावसायिक साझेदारों के बीच सम्बन्ध :
   - a रिश्वत तथा अनैतिक मनोरंजन;
   - b. आपूर्तिकर्ताओं के बीच भेदभाव;
   - c. अनुबन्ध करने तथा उन्हें पूरा करने में बेईमानी।
2. उपभोक्ताओं के साथ सम्बन्ध;
   - a. अनुचित मूल्य निर्धारण;
   - b. उपभोक्ताओं को धोखा देना;
   - c. धोखेपूर्ण विज्ञापन।
3. कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध;
   - a. भर्ती करते समय भेदभाव;
   - b. असमान बर्ताव
4. संसाधनों का प्रबन्धन :
   - a. व्यापारिक पूँजी का दुरूपयोग;
   - b. करों की चोरी।

17- स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि **lkoZtfud fgr rFkk miHkksDrk fgr** एक समान है। किन्तु उनमें निम्न प्रकार से अन्तर है –

(i) सार्वजनिक हित की आड़ में कई सरकारी नीतियाँ बनायी जाती है। जिनका आचरण प्रतियोगिता विरोधी होता है। यदि उपभोक्ता हित सर्वोपरि है तो उपभोक्ता के हित तथा कल्याण को सभी सरकारी नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

(ii) उपभोक्ता एक बड़े वर्ग का सदस्य है जो वस्तु तथा सेवाएँ क्रय करता है उपयोग में लाता है, बनाये रखता है तथा उनका निस्तारण करता है। उन पर मूल्य नीति, वित्तिय व्यवहार, माल तथा सेवाओं की गुणवत्ता तथा व्यापारिक व्यवहारों पर प्रभाव पड़ता है। उनको वस्तुओं के उत्पादन से

© The Institute of Chartered Accountants of India

अलग समझा जा सकता है। जो थोक विक्रेताओं फुटकर व्यापारियों के लिए माल का निर्माण करते है जो सार्वजनिक हित में माल बेचते है।

(iii) सार्वजनिक हित में समस्त समाज का कुछ हित होता हैं जिसे प्रतियोगी बाजार से बाह्म रूप में देखा जाता है। इस बात का उचित आदेश रहता है कि सार्वजनिक हित की आड़ में सरकारी नीतियाँ इस प्रकार से बनाई जायें कि जो उपभोक्ता के वास्तविक हित में न हो। वास्तव में ऐसी स्थितियों में सार्वजनिक हित तथा उपभोक्ता हित में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

18. निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत समान नीतियाँ निम्न होती है :

- कर्मचारियों को काम पर रखने में विविधता के लिए प्रतिबन्धता और भेदभाव छोड़ना।
- एनरॉल और अन्य लेखांकन घोटालों के परिणामस्वरूप, आंतरिक नियंत्रण सुधारों को अपनाना।
- प्रबन्धकीय टीम जो कर्मचारियों को एक सम्पत्ति समझे न कि लागत।
- उच्च निष्पादन कार्यस्थल जो रेखीय कर्मचारियों के विचारों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकीकृत करें।
- ऐसी परिचालन नीतियां अपनाना जो सामाजिक और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन में वृद्धि करें।
- उन्नत संसाधनों उत्पादकता, जो प्राकृतिक संसाधनो को अधिक उत्पादक, प्रभावशाली और लाभदायक तरिके से प्रयोग करने पर ध्यान केन्द्रित करें।
- उन स्थितियो की जिम्मेदारी लेना जिन स्थितियों में देश या विदेश में प्रत्यक्ष कर्मचारी या ठेका कर्मचारियों द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है।

19. नीतिशास्त्र से सम्बन्धित आधारभूत सिद्धान्तों को निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जा सकता है –

1. fu"Bk dk fl)kUr %& यह सभी लेखांकन और वित्त सम्बन्धी अधिकारियों का आव्हान करता है कि वे अपना वृत्तिक कर्त्तव्य निभाते हुए ईमानदारी और स्पष्टवादी पर अडे रहे।

2- oLrqfu"Brk dk fl)kUr &
यह सिद्धान्त लेखांकन और वित्त अधिकारियों को अपने पेशे व वित्तिय निर्णय पर कायम रखता है।

3. xksiuh;rk dk fl)kUr %&
इस सिद्धान्त के अनुसार लेखांकन और वित्त अधिकारियों को गोपनीय सूचना को भी प्रकट नहीं करना चाहिए।

4. iw'kk dh l{kerk vkj mfpr lko/kkuh dk fl)kUr
लेखांकन और वित्त अधिकारियों को समय – समय पर अपने ज्ञान को नवीनतम करते रहना चाहिए ताकि वे अपने ग्राहको को सक्षम सेवा प्रदान कर सकें।

5. iw'koj vkpj.k dk fl)kUr &
इस सिद्धान्त के अनुसार लेखांकन और वित्त अधिकारियों को सम्बन्धित कानून व नियमों का पालन करना चाहिए और ऐसे कार्य से बचना चाहिए जिससे पेशे की बदनामी हो।

20- ,d dEiuh esa uhfrxr i;kZoj.k mRiUu djuk %& एक कम्पनी में नीतिगत पर्यावरण उत्पन्न किया जा सकता है तथा निम्नलिखित तरीकों से कम्पनियों में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकता है :

(i) bl ckr dk lqfuf'pr djus fd deZpkfj;ksa dks viuh dkuuh rFkk uhfrxr mRrjnkf;Roksa dh tkudkjh gks

© The Institute of Chartered Accountants of India

कुछ नितिपरक संस्थानो की निति अपने कर्मचारियों को नीतिगत व्यवहार करने के लिए उत्साहित करने की होती है। इसका श्री गणेश उच्च स्तर से करना चाहिए कुछ कम्पनियाँ भारत में तथा विदेशों में नीतिपरक कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध (जानी जाती) हैं। कुछ कम्पनियाँ; जैसे – रेथिओन, टैकसाम इन्स्ट्रूमेन्ट, विप्रो आदि नितिपरक पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती हैं ताकि उनके कर्मचारी नीतिपरक निर्णय ले सकें।

(ii) ipcU/kdk rFkk depkfj;k d e/; lEi"k.k i.kkyh LFkkfir djd bl dkb Hkh 0;fDr /kk[kk/kMh rFkk dipcU/k dh lpuk fcuk fdlh Mj d n ldA

भारत, में विपरो कम्पनी ने वरिष्ठ सदस्यों की एक सहायक फोन सेवा आरम्भ की है जो कि किसी भी कर्मचारी को नैतिक, कानूनी अथवा नीतिगत मामलों पर सही सलाह दे सकती है।

(iii) lpr dju okyk d lkFk mfpr 0;ogkj djd

सम्भवतः यह सबसे महत्वपूर्ण तथा गम्भीर मामला है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सचेत करने वालों के साथ उचित व्यवहार करना आधारभूत आवश्यकता है। कुछ कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए तथा यह कार्य कम्पनी के अन्दर से किया जाना चाहिए न कि बाहर के व्यक्ति द्वारा।

21. औपचारिक संचार निर्धारित माध्यमों से होकर गुजरता है जो संस्था के सभी सदस्य को पालन करना होता है जो संचार करना चाहते हैं। प्रत्येक संस्था में स्वयं निर्मित सोपानिकी प्रणाली होती है। एक संस्था में संचार बहुमुखी होता है। विभिन्न दिशाओं के आधार पर जहाँ पर संचार भेजा जाता है, औपचारिक संचार को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैः

(i) निम्नगामी संचार
(ii) ऊर्ध्वगामी संचार
(iii) समस्तरीय या पार्श्विक संचार
(iv) विकर्णीय या तिरछा संचार।

साधारणतः संचार की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। निम्नगामी संचार का अर्थ सोपानिकी प्रणाली में वरिष्ठ कर्मचारी से अधीनस्थ कर्मचारी को संचार भेजना। इसमें आदेश और निर्देश सम्मिलित हैं।

ऊर्ध्वगामी संचार में सन्देश अधीनस्थ कर्मचारी से वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन, रिपोर्ट, निर्देश, शिकायत और सुझाव के रूप में होता है। विभिन्न उत्तदायित्वों वाले सहकर्मियों के बीच संचार को समस्तरीय (पार्श्विक) संचार करते है। कम्पनी के प्रकार्यात्मक प्रबन्धकों के बीच संचार समस्तरीय संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है विकर्णीय संचार का अर्थ है विभिन्न विभागो / संस्था के कर्मचारियों के बीच गैर – सोपानिक प्रणाली के माध्यम से संकटकालीन स्थिति में संचार।

22- vUo;fDrd lpkj d dk;l & अर्न्तेयक्तिक संचार के आवश्यक कार्य निम्न है : lpuk ikIr djuk & अन्तर्वैयक्तिक संचार का मुख्य कार्य अन्य किसी व्यक्ति के बारे में ज्ञान और सूचना अर्जित करना होता है। हम ऐसी सूचनाएँ इसलिए एकत्र करते है ताकि हम उस व्यक्ति से अधिक प्रभावी ढंग से संचार कर सके तथा उन व्यक्तियों को ठीक प्रकार से जान व समझ सकें।

,d nljs dk tkuuk o le>uk &

अन्तर्वैयक्तिक संचार हमें अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये संदेश को उसी सन्दर्भ में समझने में सहायता करता है जिस सन्दर्भ में वह सन्देश भेजा गया है। शब्दों का अर्थ बहुत भिन्न – भिन्न हो सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उक्त शब्द कैसे और कब कहाँ गया है। और किस सन्दर्भ में कहाँ गया है। fo"k;ijd lan'k] संदेश का शाब्दिक अर्थ के सन्दर्भ में होते है। दोनों प्रकार के

© The Institute of Chartered Accountants of India

सन्देश को एक साथ ही भेजा जाता है। पर यह दोनों संचार के दिये गये अर्थ को प्रभावित करते है और हमें एक – दूसरे को बेहतर समझने में सहायता करते है।

igpku dh LFkkiuk djuk –

हम इसलिए भी अन्तर्वैयक्तिक संचार करते है ताकि हम अपनी पहचान स्थापित कर सकें जो कि हमारे सम्बन्धों पर आधारित होती है और हम दुसरे के समक्ष अपनी छवि को कैसे प्रस्तुत करते हैं।

vUrjSfDrd vko';drk,&

हम अन्तर्वैयक्तिक संचार इसलिए भी करते है कि हम एक – दुसरे को अपनी अन्तर्वैयक्तिक आवश्यकताएँ बता सकें। विलियम शुटज ने ऐसी तीन आवश्यकताओं को चिन्हित किया है और वह है :

- समाहित होना ऐसी आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपनी पहचान को अन्य की पहचान के साथ सम्मिलित करना चाहते है।
- नियंत्रण की आवश्यकता हमें अपने नेतृत्व का प्रयोग करना होता है। और अपनी योग्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है।
- स्नेह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके द्वारा हम दुसरों के साथ सम्बन्ध विकसित करना चाहते है। समूह मित्र बनाने और सम्बन्ध स्थापित करने का सबसे उत्तम मार्ग है।

23- संचार के महत्व के बढ़ने के कारण : यह सत्य है कि व्यापारिक संगठनो में संचार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ोतरी के लिए निम्न कारण हो सकते है।

(a) lxBu dk foLrkj vkj mldk dbZ LFkkuksa ij dk;Zjr gksuk &

अधिकतर संगठन बडे और अधिक बडे आकार के होते जा रहे हैं। इन संगठनो में एक व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर तथा विभिन्न राज्यों या विभिन्न देशों में कार्यरत हो सकते हैं। सम्पर्क बनाये रखने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए तथा उनसे सूचना तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए या आवश्यक है कि संचार तंत्र को खुला तथा सुचारू रूप से कार्यशील रखा जाए।

(b) Je lxBuksa dk mRFkku &

पिछले कुछ दर्शकों में श्रम संगठनो का विस्तार और विकास तेजी से हुआ और उनका प्रभाव क्षेत्र भी और व्यापक हो गया है और वह संगठन और अधिक सुदृढ़ हो गये हैं कोई भी प्रबन्धन श्रम संगठनों को साथ लिये जाने के बिना सफल नहीं हो सकता है। केवल प्रभावी संचार के माध्यम से ही श्रमिको के साथ लाभकारी और उपयोगी सम्बन्ध प्रबन्धन बना सकता है।

(c) ekuoh; lEcU/kksa dk egRoiw.kZ mRFkku &

संगठनों में कार्यरत व्यक्ति किसी मशीन के समान नहीं है। उनकी अपनी आशाएँ और अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ होती है। प्रबन्धन को उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वह संवेदनशील मानव है और उन्हें संगठन के साथ एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए और उनके साथ प्रभावी दो तरफ संचार स्थापित करना चाहिए।

(d) tu lEidZ %&

प्रत्येक संगठन का सामाजिक दायित्व होता है जो कि, ग्राहकों, सरकार, आपूर्तिकर्ताओं और आम जनता के प्रति होता है। संचार ही एक ऐसा उपलब्ध साधन है जिसके माध्यम से संगठन अपने बारे में सकारात्मक चित्रण कर सकती है।

(e) O;ogkfjd foKku esa mUufr &

आधुनिक प्रबन्धन व्यावहारिक विज्ञान में हुए चेतनशील खोजें से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है, विशेषकर मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संचेनात्मक विश्लेषण

© The Institute of Chartered Accountants of India

आदि खोंजे बहुत ही प्रभावकारी हैं। यह सारे विज्ञान मानव प्रकृति के सुप्त प्रभाव को समझने तथा जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करने में सहायक होता है और उनके साथ है और यह केवल मुक्त संचार से ही सम्भव हो सकता है।

(f) rduhdh fodkl &

वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण दुनिया में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। यह प्रगति केवल काम करने के तरीको को प्रभावित करती है बल्कि कार्य समूह के गठन को भी प्रभावित करती है ऐसी परिस्थितियों में पर्यवेक्षकों और कर्मियों में संचार का होना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

24- lpkj e uhfrijd 0;ogkj dh nfo/kkvk dk lHkkyu d fy, ekxn'ku %

(i) स्पष्टवादिता बनाए रखना – स्पष्टवादिता से आशय दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार में स्पष्टता, ईमानदारी तथा खुलेपन से है। दूसरों के साथ संचार करते समय इन बातों पर अड़ा रहे।

(ii) सूचना सही बनाये रखें – जब आप सूचना एक स्त्रोत से दूसरे स्त्रोत को ले जा रहे है, तो यथासम्भव मूल संचार को ही भेजें।

(iii) गुप्तता – संचार के समय गुप्तता बनाए रखना आवश्यक है। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए।

(iv) संचार समय से भेजा जाना चाहिए – सूचना का समय आलोचनात्मक हो सकता है। सूचना को भेजने में देरी करना अनीतिपूर्ण कार्य माना जाता है।

(v) धोखाधड़ी से बचना – नितिपरक सूचना भेजने वाले हमेशा धोखाधड़ी, गलत सूचनाओं का निर्माण, जानबुझकर की गई विकृतियों या सूचनाओ को तोड– मरोड़ कर प्रस्तुत करना या सूचना छिपाना आदि बातों से दुर रहते है।

(vi) अनितिगत संचार व्यवहार का विरोध करना :–
एक संयमित नीतिगत विचार दृष्टि बनाए रखने के लिए हमे अनीतिगत संचार व्यवहार का विरोध करना चाहिए।

25- lnL;ksa dh fo'ks"k lk/kkj.k lHkk d fy, lpuk %&

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि ABC ट्रेडर्स प्रा. लि. की विशेष साधारण सभा सोमवार दिनांक 2017 को पंजीकृत कार्यालय कम्पनी के ..... मुम्बई पर ..... P.M. में निम्न व्यवसाय को ट्रांजेक्ट करने के लिए होगी –

fo'ks"k dk;

विचार करने के लिए और आवश्यक समझे जाने पर संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करने के लिए –

"प्रस्तावित किया जाता है। कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 21 के अन्तर्गत कम्पनी का नाम ABC ट्रेडर्स प्रा. लि. से ABC इन्टरनेशनल प्रा. लि. में सरकार की अनुमति के पश्चात् परिवर्तित किया जाता है। और इसी कारण सीमानियम एवं अन्तर्नियम के अनुच्छेद 1 में परिवर्तन किया जाएगा।

ABC ट्रेडर्स प्रा. लि. के निदेशक मण्डल के आदेश से।

सचिव .....

स्थान .....

दिनांक .....

© The Institute of Chartered Accountants of India